

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

18

पत्रावली CPC को धारा 89 के तहत लोक अदालत में  
का स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 21/5/18

के स्थान पर दिनांक 27.6.18 को राजस्व लोक  
अदालत में सार्वजनिक सार्वजनिक

के प्रस्तुत हैं, तदनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित हो।

सहायक कलेक्टर (SDO), चौहटन

27.6.18

पत्रावली जज राजस्व लोक अदालत न्याय  
कापीक द्वारा 2018 के कैम्प सार्वजनिक में  
पेश हुई। उक्त पत्रावली के कैम्प में  
प्रस्तुत लोक अदालत में पेश का सिद्धि  
किया कि उक्त वादवाही भाग्य के  
द्वारा कापीक सहमति से तहकीलदार सेवा  
से केशवरा कला दिया है। उक्त इस  
वाद को विद्वी कलाया जावे। उक्त  
इस वाद में कापीक कापेवही इला  
स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली  
के लाल कुमार लोक अदालत सुपरी

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

27

शेरखान (सरपंच)  
ग्रा.पं. सार्वजनिक प.स. संख्या

गोहटा

पत्रावली के  
अधीन  
5

सि.सु.म.म.

कलाया

समीक्षा